कार्यपालन सारांश

कर संग्रहण	वर्ष 2010–11 में भू–राजस्व से प्राप्त कर संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 100.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अनुरोध किये जाने के बावजूद भी, विभाग द्वारा वृद्धि के कारणों से अवगत नहीं कराया गया ।
वर्ष 2010–11 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2010–11 में हमने भू–राजस्व के कर से संबंधित 45 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की जिसमें 1,72,568 प्रकरणों में ₹ 870.47 करोड़ के प्रीमियम (प्रब्याजि), भू–भाटक, व्यपवर्तित लगान के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला । विभाग ने 1,60,044 प्रकरणों में ₹ 272.58 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान इंगित किया गया था । वर्ष 2010–11 के दौरान 23,029 प्रकरणों में ₹ 60.95 करोड़ की राशि वसूल की गई थी ।
इस अध्याय में जो हमने प्रमुखता से दर्शाया है ।	इस अध्याय में हमने तहसीलदारों तथा कलेक्टर कार्यालयों में भू–राजस्व से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होने/कम वसूली होने, गलत छूट आदि से संबंधित ₹ 3.90 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि विगत कई वर्षों से हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार की चूकों को बार–बार इंगित किया जाता है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण, व्यपवर्तन लगान एवं उपकर का अवनिर्धारण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होने के कारण राशि को वसूल करने हेतु त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जिनमें विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय–5
भू–राजस्व

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रधान सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है । आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख द्वारा विभाग के कार्यों में उसकी सहायता की जाती है । संभागीय आयुक्त संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं । प्रत्येक जिले में विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । जिले के उप–संभाग के प्रभार हेतु एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है । किसी उप–संभाग के प्रभार में इस प्रकार पदस्थापित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं । वे कलेक्टर की उन शक्तियों का उपयोग करते हैं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित की जाएं । राजस्व अभिलेख एवं बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक/ सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख की पदस्थापना की जाती है । तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है । राज्य में दस राजस्व संभाग हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है, 50 जिले हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है तथा 341 तहसीलें हैं ।

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में भू–राजस्व की वास्तविक प्राप्तियां एवं उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियां आगामी तालिका एवं लाइन ग्राफ में दर्शायी गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	राज्य की कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2006-07	84.21	132.21	(+) 48.00	(+) 57.00	10,473.13	(+) 1.26
2007-08	130.00	129.15	(-) 0.85	(-) 0.65	12,017.64	(+) 1.07
2008-09	127.45	338.84	(+) 211.39	(+) 165.86	13,613.50	(+) 2.49
2009-10	161.81	180.03	(+) 18.22	(+) 11.26	17,272.77	(+) 1.04
2010-11	182.46	360.81	(+) 178.35	(+) 97.75	21,419.38	(+) 1.68

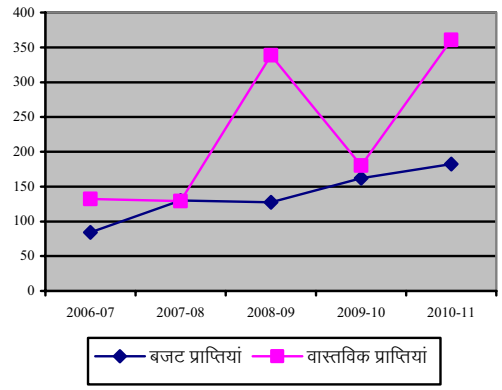

वर्ष 2010–11 में भू–राजस्व से प्राप्त कर संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 100.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अनुरोध किये जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा वृद्धि के कारणों से अवगत नहीं कराया गया ।

5.3 बजट अनुमानों का विश्लेषण

बजट अनुमान तैयार करने से संबंधित कोई भी फाइल शासन स्तर पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई । हालांकि विभाग प्रमुख के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से हमने अवलोकित किया कि वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियों का आँकलन करने के लिए किन्हीं एकरूप मापदंडों का अनुसरण किये बगैर तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार किये गये थे । वर्ष 2010–11 हेतु बजट अनुमान ₹ 182.46 करोड़ के विरूद्ध संशोधित अनुमान ₹ 400.24 करोड़ था । संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ 360.81 करोड़) 9.85 प्रतिशत कम थीं, यद्यपि संशोधित अनुमान, बजट अनुमान की तुलना में 119.36 प्रतिशत अधिक था । म0प्र0 गृह निर्माण मंडल से नजूल प्रीमियम के रूप में ₹ 132.50 करोड़ की अप्रत्याशित प्राप्ति को संशोधित अनुमानों में वृद्धि का कारण बताया गया ।

5.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्य संपन्न करने के लिए विभाग में कोई पृथक दल गठित नहीं किया गया है । किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, समय–समय पर विभाग के वित्त अनुभाग में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य संपन्न किया जाता है ।

5.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010–11 में भू–राजस्व की 45 इकाइयों की नमूना जाँच में 1,72,568 प्रकरणों में ₹ 870.47 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियाँ प्रकट हुई जो निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	गलत प्रब्याजि एवं भू–भाटक लागू करने के कारण राजस्व हानि	337	4.38
2.	बिना कोई कारण बताये प्रब्याजि एवं भू–भाटक कम कर देने से राजस्व हानि	36	2.77
3.	पट्टा विलेखों का निष्पादन और पंजीयन न होना	5	0.84
4.	नजूल भूमि के भवन के विभाजन/दान पत्र पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण न होना	2	0.005
5.	नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना	1,234	4.21
6.	प्रब्याजि एवं भू–भाटक के कम निर्धारण के कारण राजस्व हानि	698	1.75
7.	भू–भाटक/प्रब्याजि और शास्ति की मांग सृजित न करना	3,676	4.45
8.	प्रक्रिया व्यय का आरोपण/वसूली न होना	3,338	7.62
9.	संग्रहण प्रभार की वसूली न होना	504	1.35
10.	राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन न होना	9,587	48.53
11.	अन्य अनियमितताएं	1,53,151	794.57
योग		**1,72,568**	**870.47**

वर्ष के दौरान विभाग ने 1,60,044 प्रकरणों में ₹ 272.58 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिन्हें वर्ष 2010–11 में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किया गया था । वर्ष 2010–11 में 23,029 प्रकरणों में ₹ 60.95 करोड़ की राशि वसूल की गयी । महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दर्शाने वाले ₹ 3.90 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है :

5.6 भू–राजस्व एवं उपकर की प्राप्तियों का शासकीय लेखे में गलत वर्गीकरण

मध्य प्रदेश कोष संहिता (एम.पी.टी.सी.) (भाग एक) के नियम 7 (i) सहपठित शासकीय अधिसूचना नवम्बर 2001 के अनुसार तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर* शासकीय कोषालय में शासकीय लेखे के मुख्य लेखा शीर्ष–0029 के अंतर्गत जमा कराया जायेगा ।

मई 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य 23 तहसील कार्यालयों[1] के अभिलेखों (चालानों) की नमूना जांच में हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2005–06 तथा 2009–10 के मध्य तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर की राशि ₹ 2.22 करोड़ कोषालय में मुख्य लेखा शीर्ष 0029 के स्थान पर शीर्ष '0515'–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जमा कराया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण हुआ ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, 13 तहसीलदारों[2] ने मई 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य बताया कि भू–राजस्व एवं उपकर मुख्य शीर्ष–0029 में जमा किया जायेगा । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012)।

हमने फरवरी एवं मई 2011 के मध्य प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012)।

---

1. बड़ा मलहरा (छतरपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), बरघाट (सिवनी), बतियागढ़ (दमोह), बैतूल, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), छिन्दवाड़ा, चौरई (छिन्दवाड़ा), देवास, धार, गौरिहार (छतरपुर), जबलपुर, जैतपुर (शहडोल), खैरलान्जी (बालाघाट), किरनापुर (बालाघाट), मन्दसौर, मुरैना, रामपुरनेकिन (सीधी), रायपुर कर्चुलियान (रीवा), रतलाम, सुवासरा (मन्दसौर) और तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर) और उज्जैन।

2 बड़ा मलहरा (छतरपुर), बरघाट (सिवनी), बैतूल, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), चौरई (छिन्दवाड़ा), गौरिहार (छतरपुर), जबलपुर, जैतपुर (शहडोल), किरनापुर (बालाघाट), रायपुर कर्चुलियान (रीवा), रामपुर नेकिन (सीधी), सुवासरा (मन्दसौर) और तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर)।

* यह 'कर' शब्द के अंतर्गत परिभाषित है जिसमें अधिनियम के तहत आरोपणीय कर, उपकर तथा फीस की दर भी शामिल है।

5.7 भूमि का अनियमित विनिमय

राजस्व परिपत्र पुस्तक (आर.बी.सी.) के अनुसार, जिले के कलेक्टर उसी जिले में किसी भी भूमि स्वामी** की कृषि भूमि का सम मूल्य की शासकीय कृषि भूमि से विनिमय की अनुमति दे सकेंगे । राज्य शासन की नजूल भूमि*** का भूमि स्वामी की कृषि भूमि से विनिमय का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 18 मई 1965 को जारी आदेश के अनुसार, सभी कलेक्टर अपने जिले के सभी नगरों के शहरी क्षेत्र की सीमा से पांच मील के अंदर की भूमि को नजूल भूमि घोषित करेंगे और उसे उपयुक्त तरीके से नजूल खसरा में शामिल करेंगे।

मार्च 2009 में उप पंजीयक सरदारपुर तथा कलेक्टर धार एवं तहसील सरदारपुर (अप्रैल 2010) के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने अवलोकित किया कि 1.362 हैक्टेयर नजूल भूमि का दालपुरा ग्राम में स्थित एक न्यास की 1.672 हैक्टेयर कृषि भूमि से विनिमय किया गया । विनिमय दस्तावेज का निष्पादन एवं पंजीयन जून 2006 में किया गया । चूँकि उपरोक्त नियमों के तहत नजूल भूमि का भूमि स्वामी की कृषि भूमि से विनिमय अनुमत्य नहीं था, अतः विनिमय अनियमित था ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कलेक्टर ने अप्रैल 2010 में बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र की दो किलोमीटर की सीमा में स्थित भूमि नजूल भूमि है एवं उपरोक्त भूमि का विनिमय नियमों के अंतर्गत अनुमत्य नहीं था । उन्होंने आगे बताया कि यह मालूम करना कठिन है कि तत्कालीन कलेक्टर ने किन परिस्थितियों में इस भूमि विनिमय की अनुमति दी । तथ्य यह है कि सम्बन्धित निजी पक्ष (भूमि स्वामी) से नजूल भूमि को वापस लिया जाना अपेक्षित था । उत्तर इस बारे में स्पष्ट नहीं है ।

हमने प्रकरण की जानकारी आयुक्त, इन्दौर एवं शासन को मई 2010 एवं मई 2011 में दी थी ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

** भूमि का मालिक ।

*** नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थित शासकीय भूमि ।

5.8 प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना

म.प्र. लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (अधिनियम) एवं मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अनुसार वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व प्रकरण को राजस्व प्रकरण पंजी में दर्ज कर 15 दिन के भीतर मांग सूचना पत्र जारी करेगा । अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय आरोपणीय है ।

जून 2010 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य 23 तहसील कार्यालयों[3] के वसूली विवरण पत्रकों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि यद्यपि, 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध वसूल की गई मूल राशि ₹ 23.59 करोड़ पर प्रक्रिया व्यय के रूप में ₹ 70.75 लाख वसूल किये जाने थे परन्तु विभाग ने मांग सूचना पत्र जारी करते समय प्रक्रिया व्यय को शामिल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप बकायादारों से यह राशि वसूल नहीं हुई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 70.75 लाख के प्रक्रिया व्यय की वसूली नहीं हुई ।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी तथा मई 2011 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

[3] बड़ा मलहरा (छतरपुर), बरघाट (सिवनी), बतियागढ़ (दमोह), बैतूल, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), बोहरीबन्द (कटनी), छिन्दवाड़ा, चौरई (छिन्दवाड़ा), गड़ा कोटा (सागर), गौरिहार (छतरपुर), ग्वालियर, जैतपुर (शहडोल), खैरलान्जी (बालाघाट), मन्दसौर, मुरैना, मुडवारा (कटनी), पटेरा (दमोह), रामपुर नेकिन (सीधी), रायपुर कर्चुलियान (रीवा), रीवा, सोहागपर, तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर) और उज्जैन।

5.9 अग्रिम आधिपत्य के प्रकरण में प्रब्याजि एवं भू–भाटक की वसूली न होना

राजस्व पुस्तक परिपत्र IV-I की कंडिका 29 के अनुसार शासकीय भूमि के अग्रिम अधिपत्य दिये जाने से पूर्व आवेदनकर्ता प्राक्कलित प्रब्याजि एवं भू–भाटक के आधार पर अनुमानित प्रब्याजि एवं भू–भाटक की राशि आवश्यक रूप से जमा करेंगे । इसके साथ आवेदनकर्ता द्वारा इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत किया जाना चाहिये कि वह शासन द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित प्रब्याजि एवं भू–भाटक की राशि का भुगतान करेगा । फरवरी 1985 के शासकीय निर्देश में इसे दोहराया गया था कि अग्रिम आधिपत्य की स्थिति में अनुमानित प्रब्याजि एवं भू भाटक की राशि को अनिवार्य रूप से जमा किया जायेगा । तथापि, अंतिम आवंटन के लिए प्रकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

सितम्बर 2010 में कलेक्टर कार्यालय (नजूल) उमरिया के अभिलेखों (नजूल भूमि के आवंटन की फाइलें) की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि जुलाई 2006 में नगर पालिका परिषद, उमरिया को दो प्रकरणों में क्रमशः 1843.20 वर्गमीटर एवं 4230 वर्गमीटर भूमि प्रब्याजि एवं भू–भाटक के भुगतान के बिना अग्रिम आधिपत्य के रूप में दी गई । इसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹ 70.50 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई :

क्र. स.	भूमि का रकबा	प्रब्याजि (₹ में)	वार्षिक भू–भाटक (₹ में)	किराया 2009–10 तक (₹ में)
1.	1843.20 वर्ग मीटर	8,11,008	1,21,651	4,86,604
2.	4230 वर्ग मीटर	35,95,500	5,39,325	21,57,300
योग		**44,06,508**		**26,43,904**

इसके अतिरिक्त, कलेक्टर कार्यालय (नजूल) द्वारा पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी इन प्रकरणों को अंतिम आवंटन हेतु शासन को नहीं भेजा गया ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर नजूल अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2010) कि समय समय पर मांग सूचना पत्र जारी किये गये थे । अगर नियमों का पालन किया गया होता तो मांग सूचना पत्र जारी करने की स्थिति को टाला जा सकता था । आगे, अपर कलेक्टर, उमरिया ने बताया (जुलाई 2011) कि ₹ 12 लाख की राशि वसूल कर ली गई है ।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को मई 2011 में प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।

5.10 व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं उपकर का कम निर्धारण

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार, जब कोई भूमि उस प्रयोजन, जिसके लिए उसका पूर्व में निर्धारण किया गया था, के बजाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जाती है तो ऐसी भूमि पर देय भू–राजस्व व्यपवर्तन के दिनांक से शासन द्वारा निर्धारित दरों से उस प्रयोजन के अनुसार पुनरीक्षित एवं पुनर्निर्धारित किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिए भूमि को व्यपवर्तित किया गया है । ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यपवर्तित लगान के प्रति एक रूपये पर 50 पैसे की दर से पंचायत उपकर भी आरोपणीय है ।

अगस्त 2010 तथा दिसम्बर 2010 के मध्य चार कलेक्टर कार्यालयों[4] एवं तहसील देवास के व्यपवर्तन प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि मार्च 2008 से दिसम्बर 2010 के मध्य निर्णीत किये गये व्यपवर्तन के 30 प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं उपकर का कम निर्धारण किया गया था। हमने देखा कि वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु व्यपवर्तन को आवासीय उद्देश्य हेतु माना गया या निर्धारण कम भूमि क्षेत्र के लिए किया गया था या व्यपवर्तन लगान एवं प्रब्याजि का निर्धारण गलत दरों पर किया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.84 लाख के प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान एवं उपकर की कम प्राप्ति हुई ।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को मई 2011 में प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2012) ।

[4] बैतूल, धार, मन्दसौर और रतलाम।

5.11 व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का अनिर्धारण एवं अनारोपण

पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अनुसार प्रत्येक राजस्व वर्ष में प्रत्येक भूमि धारक एवं शासकीय भूमि पट्टाधारक उस भूमि के लिए जो उसने ग्राम पंचायत क्षेत्र में धारित की है, के लिए भूमि के प्रत्येक अंश के लिये निर्धारित भू–राजस्व या भाटक के प्रत्येक रूपये पर 50 पैसे की दर से पंचायत उपकर आरोपणीय होगा । उपकर भू–राजस्व या भाटक के अतिरिक्त आरोपणीय होगा । मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 58 (2) के अनुसार, व्यपवर्तन लगान भू राजस्व की परिभाषा में शामिल है, अतः व्यपवर्तन लगान पर भी पंचायत उपकर आरोपणीय होगा ।

जुलाई तथा सितम्बर 2010 के मध्य कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन शाखा), उमरिया तथा तहसील देवरी (सागर) के व्यपवर्तन प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 32 प्रकरणों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों की भूमि के संबंध में ₹ 10.88 लाख के व्यपवर्तन लगान पर ₹ 5.44 लाख का पंचायत उपकर आरोपित नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.44 लाख के पंचायत उपकर का अनारोपण हुआ ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, अधीक्षक, भू–अभिलेख (व्यपवर्तन) उमरिया ने बताया (सितम्बर 2010) कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारियों को भेजे जायेंगे । तहसीलदार, देवरी ने बताया (जुलाई 2010) कि व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर की वसूली के लिए कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 58(2) के अनुसार व्यपवर्तन लगान भू–राजस्व की परिभाषा में शामिल है, अतः पंचायत उपकर व्यपवर्तन लगान पर भी आरोपणीय है ।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को मई 2011 में प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2012) ।